इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 525]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 16 दिसम्बर 2016-अग्रहायण 25, शक 1938

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2016

वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश वन्य प्राणी (संरक्षण) नियम, 1974 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 34 में, सारणी-ए के स्थान पर, निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए, अर्थात् :—

सारणी—ए वाहन से वन्य जीव दर्शन (प्रति राउंड)

क्रमांक (1)	टाईगर रिजर्व/संरक्षित क्षेत्र (2)	एकल सीट अनुज्ञा, पर्यटन हेतु पार्क प्रबंधन द्वारा पंजीकृत वाहन में (हल्के वाहन एवं मिनी बस) (3)	संपूर्ण वाहन अनुज्ञा, पर्यटन हेतु पार्क प्रबंधन द्वारा पंजीकृत वाहन में (हल्के वाहन) अधिकतम 8 व्यक्ति (4)
1	कोर क्षेत्र टाइगर रिजर्व संजय टाईगर रिजर्व तथा पृथक् से अन्य वर्णित किए गए व्यू पाइंट्स को छोड़कर.	रुपये 250	रुपये 1500
2	संजय टाईगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व्स के बफर (मध्यवर्ती) क्षेत्र तथा अन्य राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य (वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को छोड़कर)	रुपये 125	रुपये 750

*उपरोक्त दरों में वाहन एवं गाइड शुल्क सम्मिलित नहीं है.

In exercise of the powers conferred by Section 64 of the Wildlife (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Wildlife (Protection) Rules, 1974, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, in rule 34, for Table-A, the following table shall be substituted, namely :--

TABLE-A
Viewing wildlife by Vechicles (Per Round)

S. No.	Tiger Reserve/ Protected Area	Single seat permit, in a vehicle registered by park management for Tourism purpose (Light Motor Vehicles and Mini Bus)	Full vehicle permit, in a vehicle registered by park management for tourism purpose (Light Motor Vehicles), maximum 8 persons.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Core Areas of	Rs. 250	Rs. 1500
	Tiger reserve except Sanjay Tiger Reserve and view points mentioned separately		
2	Sanjay Tiger Reserve, Buffer areas of Tiger	Rs. 125	Rs. 750
	Reserves and Other National Parks or		
	Sanctuaries (except Van Vihar National Part)		

^{*} Above rates are exclusive of Guide and Vehicle fee.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय मोहरीर, अपर सचिव.